भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं-3680
उत्तर देने की तारीख-11/08/2025

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के लिए सिबिल स्कोर मानदंड

3680. **श्री दिलेश्वर कामैत:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है;

(ख) सरकार द्वारा इस योजना को शीर्ष संस्थानों के छात्रों के अलावा, विशेषकर बिहार राज्य के छात्रों तक विस्तारित करने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं;

(ग) यह योजना कब तक पूरी तरह से लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान में वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे छात्रों को कोई अंतरिम सहायता प्रदान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की उक्त योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु गरीब छात्रों के लिए सिबिल स्कोर संबंधी मानदंडों और शर्तों में ढील देने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार किस प्रकार इस योजना की सततता सुनिश्चित करती है; और

(छ) क्या सरकार के पास लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए कोई रोडमैप है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को दिनांक 6 नवंबर 2024 को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र वित्तीय बाधाओं के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण सभी राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों के छात्रों को प्रदान किए जाते हैं जो गुणवत्ता उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और इन क्यूएचईआई से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए क्यूएचईआई की सूची तैयार करने के लिए एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग पर विचार किया गया है:

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में समग्र, श्रेणी-विशिष्ट अथवा विषयवार-विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 उच्चतर शिक्षा संस्था (एचईआई); साथ ही
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के शासनाधीन शीर्ष 200 उच्चतर शिक्षा संस्था; साथ ही
- भारत सरकार के शासनाधीन शेष सभी उच्चतर शिक्षा संस्था।

(घ): पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज पर छूट प्रदान करती है। एक लाख तक नए छात्रों को शिक्षा ऋण पर कोई अन्य छात्रवृत्ति या ब्याज पर छूट नहीं मिल रही है, उन्हें यह लाभ मिलेगा। ब्याज पर छूट या लाभ अधिस्थगन अवधि अर्थात, पाठ्यक्रम अवधि जमा एक वर्ष के दौरान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-2031 तक ब्याज पर छूट के लिए रखा गया कुल परिव्यय 3,600 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा विभाग पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएम यूएसपी-सीएसआईएस योजना के अंतर्गत, उन सभी छात्रों को जो राष्ट्रीय आकलन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से प्रत्यायित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं/राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से प्रत्यायित तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है, अधिस्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पर ब्याज पूर्ण पर छूट प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए छात्र लाभार्थियों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी निधि योजना (पीएम-यूएसपी सीजीएफएसईएल) के तहत, ₹7.5 लाख तक के संस्वीकृत शिक्षा क्रडिट के लिए क्रडिट गारंटी प्रदान की जाती है। गारंटी कवर बकाया चूक के 75% तक है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के तहत, अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम वर्ष जमा एक वर्ष) के बाद शिक्षा ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 15 वर्ष तक है।

इस प्रकार, पीएम विद्यालक्ष्मी, पीएम-यूएसपी सीएसआईएस और पीएम यूएसपी सीजीएफएसईएल योजनाएं, विभिन्न छात्रवृत्तियों के साथ मिलकर सभी पात्र छात्रों को गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में उच्च शिक्षा और अनुमोदित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र सहयोग प्रदान करती हैं।

(ड़) से (छ): प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा ऋण स्वीकृत करने के लिए छात्रों का सिबिल स्कोर कोई मानदंड नहीं है। इसके अलावा, वे सभी छात्र जो गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाते हैं और गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा ऋणों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज पर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पोर्टल दिनांक 25 फरवरी 2025 से प्रचालित होगा।

हाल ही में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। जागरूकता बढ़ाने के लिए, योजना के दिशानिर्देश शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education.gov.in/en/scholarships_education_loan पर पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ ने सभी सदस्य बैंकों को उनकी शाखाओं में उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी का बहुभाषी पर्चे तैयार कर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) से इसे डाउनलोड करके अपने छात्रों को वितरित अनुरोध किया गया है।

सभी क्यूएचईआई उनकों परिसरों में पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की प्रचार सामग्री को मुख्य रुप से प्रदर्शित करने और पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के लिए समर्पित कॉल सेंटर नंबर 1800-1031 का सक्रिय रूप से प्रचार करने का अनुरोध किया गया है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंकों के साथ मिलकर नियमित रूप से शिक्षा ऋण जमा करने, प्रसंस्करण और संवितरण की प्रगति की निगरानी करते हैं। इसके अलावा, डीएचई, डीएफएस के साथ मिलकर, योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नियमित अंतराल पर क्यूएचईआई, बैंकों और आईबीए के साथ बैठकें आयोजित करता है। क्यूएचईआई और छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीएफएस, आईबीए और बैंकों के सहयोग से क्यूएचईआई के साथ कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं।

*****